<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 80 / 2005 **दायर दिनांक— 14.10.2005**

उनवान

अनिल कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र एण्डू जाति ईसाई निवासी पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी / वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी / प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर0 टी0 एक्ट</u>

<u>बाबत इन्द्राज दुरूस्ती</u>

उपस्थितिः—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 18 / 07 / 2022

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां में आराजी पुराना ख0नं0 249 का रकबा 16 बीघा, ख0नं0 294 का रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा तथा ख0नं0 544 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी को खातेदार बेन्जिमन द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी के नामान्तरण संख्या 376 से खाते दर्ज हुई थी। उक्त आराजी वादी के अपने दादाजी के जीवनकाल से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात ख0नं0 249 का रकबा 16 बीघा को दोराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नवीन ख0नं0 232 का रकबा 2.22 है0 बनाया है। जो पुराने रकबे से 2 बीघा 1 बिस्वा के लगभग कम है। अर्थात सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय वादी के खाते में 0.33 है0 के लगभग आराजी कम कर दी गई है। यह गलती सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो काबिल दुरूस्ती है। वादी ने वाद पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दी नवीन जमाबन्दी पुराना नक्शा मिलान क्षैत्रफल, नवीन नक्शा पेश किया है जो काबिल गौर है। वादी सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद के माध्यम से इन्द्राज दुरूस्त करवाकर यह घोषणा

करा पाने का अधिकारी है कि वादी के खाते में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया कम रकबा 0.33 है0 आराजी का नवीन ख0नं0 व नवीन नक्शा कायम किया जाकर 0.33 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज करते हुये वादी को 0.33 है0 आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। मौके पर तो वादी सम्पूर्ण रकबा 16 बीघा पर काबिज है लेकिन यह कमी सेटलमेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की है। वादी को अपने खाते में कम हुये रकबे की जानकारी दिनांक 05.04.2005 को हल्का पटवारी द्वारा नवीन सेटलमेन्ट जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रथम बार हुई। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया गया हे। वादी उक्त वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पेश किया जा रहा है। अतः वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई नियमित रू᳴ से की जावे। सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता का नाम एण्ड के स्थान पर हेण्डू कर दिया है। इसको भी दुरूस्त करके वादी के पिता का नाम ऐण्डू किया जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक दावा हाजा पेश है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी पारित की जावे कि–

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वादी के खाते में कम हुआ रकबा 0.33 है0 का नवीन ख0नं0 व नक्शा बनाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे। उक्त रकबे पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा पिता के नाम पर हेण्डू की जगह एण्डू दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 1 के तथ्य स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 स्वीकार नही है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा उस ख0नं0 का

उल्लेख नही किया गया है जिसमें प्रार्थी की कम की गई 0.35 है0 भूमि शामिल की गई है। बिन्दु संख्या 4 प्रार्थी वर्तमान में जितनी भूमि तक का खातेदार है उस सीमा तक कब्जा स्वीकार है। बिन्दु संख्या 5 स्वीकार नही है। बिन्दु संख्या 6 स्वीकार नही है। बिन्दु संख्या 7 राजस्व रिकार्ड का अवलोकन पर प्रार्थी के पिता का ना हेण्डू की बजाय एण्डू करने पर आपत्ति नही है। बिन्दु संख्या 8 से 10 कानूनी है।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की–

तनकी नं. 1– आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 249 का रकबा 16 बीघा था जिसका बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 232 का रकबा 2.22 है0 बनाकर 0.33 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादी पूरे रकबे पर काबिज काश्त है इस वजह से वादी कम हुआ रकबा 0.33 है0 को अपने नाम खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी है–(वादी)

तनकी नं. 2– आया वादी ने उस ख0नं0 का उल्लेख नही किया है कि कम किया हुआ रकबा किसमे शामिल किया गया है। (प्रतिवादी)

तनकी नं. 3–दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत pw1 के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। प्रकरण में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट चाही गई, तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1165 दिनांक 19.05.2022 को मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वादी उक्त बिन्दू में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्षियों के आधार पर स्वय् सिद्ध करें। वर्तमान जमाबन्दी के खातेदार अनिल कुमार पुत्र हेन्डु जाति इसाई के नाम ग्राम पिपलोद ख0नं0 232 रकबा 2.22 है0 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। शेष तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू कानूनी है। तथा शेष तथ्यों को वादी स्वयं रिकार्ड के आधार पर सिद्ध करें। मुताबिक खसरा गिरदावरी वादी केवल अपने खातेदारी ख0नं0 232 रकबा 2.22 पर ही काबिज है। बिन्दू संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 6 कानूनी है। बिन्दू संख्या 7 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 8 कानूनी है। बिन्दू संख्या 9 कानूनी है। बिन्दू संख्या 10 कानूनी है।

विशेष कथन

वादी द्वारा अपने वाद में यह नही बताया कि उसका साबिक रिकोर्ड की मुकाबले कौन–कौनसे ख0नं0 में से कितना कितना रकबा कम हुआ है तथा ग्राम पिपलोद का ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता सरकारी खाते में दर्ज रिकार्ड है एवं नक्शा सीट के दर्ज है जो वर्तमान में मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक बाराहमासी है और वादी के साथ साथि अन्य काश्तकार भी उक्त रास्ते का उपयोग करते है। ऐसी स्थिति में वादी को रास्ते की भूमि से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी का वाद निरस्त करना उचित होगा।

5. प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी नं. 1</u>–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी के साबिक ख0नं0 249 रकबा 16 बीघा का दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा नवीन ख0नं0 232 रकबा 2.22 है0 बनाकर वादी की आराजी का रकबा 0.33 है0 कम कर दिया गया जिसका सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। वादी अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर आज भी 16 बीघा अर्थात 2.55 है0 भूमि पर कब्जे काश्त चला आ रहा है। अतः वादी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर रकबा 2.22 है0 से बढाकर 2.55 है0 किया जावे और वादी को बडी हुई 0. 33 है0 भूमि पर खातेदार घोषित किया जावे। अभिभाषक वादी द्वारा आगे बहस करते हुए कथन किया कि वादी के खेत ख0नं0 232 से लगवा सरकारी भूमि ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग ने वादी का रकबा कम करके उक्त सरकारी भूमि का रकबा बढा दिया गया है। अत सरकार भूमि ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 में से 0.33 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक वादी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट के दौरान मौके पर वास्तविक स्थिति को ध्यान रख कर ही नवीन फील्ड मेप व जमाबन्दी तैयार की जाती है और यदि किसी खसरे की स्थिति में परिवर्तन किया जाना हो तो सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको द्वारा पहले उस परिवर्तन से प्रभावित पक्षकारों को कच्चा पट्टा देकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही पक्का पट्टा/भू प्रबंध

मिसल तैयार की जाती है। यदि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने वादी की आराजी का रकबा 0.33 है0 कम किया था तो वादी को वक्त सेटलमेन्ट आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए थी। अतः सेटलमेन्ट के 30 वर्ष बाद वादी द्वारा पेश आपत्ति को खारिज फरमाया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा आगे कथन किया कि वादी के साबिक ख0नं0 249 के सेटलमेन्ट द्वारा केवल एक खसरा संख्या 232 नहीं बल्कि दो खसरे– ख0नं0 232 रकबा 2.22 है0 एवं ख0नं0 231/1049 रकबा 0.09 है0 बनाये गये है। इस प्रकार वादी की आराजी का रकबा 0.33 है0 कम न करके 0.24 है0 कम किया गया है। वादी का यह कथन कि समीपस्थ सरकारी भूमि ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 भूमि में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रकबा बढाया गया है– अस्वीकार है क्योकि उक्त गै0मु0 रास्ते का वादी की आराजी के पास सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 264 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा था जिसका सेटलमेन्ट के बाद 0.97 है0 रकबा दर्ज करने के बजाय 0.80 है0 दर्ज किया गया है। उक्त रास्ता मौके पर सालभर चालू रहता है और आसपास के सैंकडों किसान इसी से होकर अपनी कृषि आराजी तक पहुंचते है अतः उक्त गै0मु0 रास्ते का रकबा यथावत रखते हुए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

<u>वादी का रकबा कम किया जाना</u>– उपरोक्त उभय पक्षकारों की बहस के आलौच्य में रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2039–42 प्रदर्श–4, भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2057–60 प्रदर्श–3, मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2019 व 21.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको द्वारा वादी के साबिक ख0नं0 249 रकबा 16 बीघा के नवीन ख0नं0 232 रकबा 2.22 है0 व ख0नं0 231/1049 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 है0 बनाकर वादी का रकबा करीब 0.24 है0 कम दर्ज किया है जिसका सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को बिना किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के कोई अधिकार नहीं था।

<u>वादी का कम हुआ रकबा कहां बढाया गया–</u> अब प्रश्न यह है कि वादी का सेटलमेन्ट कार्मिकों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान कम किया गया रकबा 0.24 है0 आस पास के किस खसरे/खसरों में बढाया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा पेश ग्राम पिपलोद के साबिक ख0नं0 249 के नजरी नक्शे संवत 2012 प्रदर्श–5, नवीन खसरे 232 के नजरी नक्शे व मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी

की विवादित आराजी के आस पास खेतों के साबिक ख0नं0 248, 250, 251 एवं 264 है। उक्त खेतों के साबिक ख0नं0 के मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट द्वारा साबिक ख0नं0 250 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा 227 रकबा 0.66 है0, साबिक ख0नं0 248 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा का नवीन ख0नं0 231 रकबा 2.83 है0 , साबिक ख0नं0 251 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का नवीन ख0नं0 233 रकबा 1.75 है0 व साबिक ख0नं0 264 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के नवीन ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 दर्ज किया गया है जो कि नियमानुसार है। आस पास के उक्त खसरा नम्बरों में से किसी भी खसरा नम्बर का रकबा दौराने सेटलमेन्ट बढाया नहीं गया है। इस संबध में पेरोकार सरकार तहसीलदार अटरू द्वारा बहस के दौरान पेश हाल मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 का भी अवलोकन किया गया जिसमें पेरोकार सरकार द्वारा समीपस्थ सरकारी आराजी गै0मु0 रास्ता ख0नं0 235 रकबा 0.80 है0 जो एक बारह मासी रास्ता है और सैंकडो काश्तकारों के लिए अपनी कृषि आराजी तक एक पहुंच मार्ग है– मे से कोई कमी नहीं करते हुए वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

यह तो स्पष्ट है कि वादी का कम हुआ रकबा किसी न किसी खसरे में जरूर बढाया गया होगा क्योंकि सम्पूर्ण राजस्व ग्राम पिपलोद का सेटलमेन्ट से पूर्व एवं सेटलमेन्ट के बाद कुल रकबा समान रहना चाहिए। कम हुआ रकबा किस खसरे में बढाया गया है – यह सिद्ध करने का भार वादी पर था लेकिन वादी द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अलावा ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जो यह सिद्ध करता हो कि वादी का कम हुआ रकबा इस या इन खसरा नम्बरों में बढाया गया है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 1 आंशिकतः ही वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– तनकी नं 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2039–42 प्रदर्श–4, भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2057–60 प्रदर्श–3, मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 01. 08.2019 व 21.10.2019, साबिक ख0नं0 249 के नजरी नक्शे संवत 2012 प्रदर्श–5, नवीन खसरे 232 के नजरी नक्शे तथा साबिक ख0नं0 248, 250, 251, व 264 के भू0 प्रबंध मिलान क्षेत्रफल आदि के आधार पर एवं तनकी नं0 1 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी पेरोकार सरकार यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि वादी का कम हुआ रकबा किस खसरे में बढा है यह

दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं हो पाया है। अतः तनकी नं0 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां